संख्या-25/2025/361/सत्तर-4-2025-003-4(33)/2023

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
2. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
3. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
9. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 27 मार्च, 2025

विषयः-उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-95/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 24.02.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नांकित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल 56 प्रस्तावों हेतु रू0 1,57,51,477/-(रूपये एक करोड सत्तावन लाख इक्यावन हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) की धनराशि कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये में)

Scanned with OKEN Scanner

			महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली			
23	Dr Upendra Kumar	Plant Science	Biofortification of wheat for dietary fiber content through conventional and molecular approaches	आकस्मिकता	50000	
				उपभोज्य सामग्री	150000	
				यात्रा/फील्डवर्क	50000	250000
24	Dr Pankaj Kumar Arora	Plant Science	Bacterial degradation and remediation of chlorophenols to clean the environment	अनावर्ती व्यय	100000	
				आकस्मिकता	100000	
				उपभोज्य सामग्री	100000	300000
25	Prof Sanjay Mishra	Business Administration	Socio-Economic Impact of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) on Marginalized Communities in Bareilly and its contribution in Sustainable Development Goal 3 for Health and Well Being	अनावर्ती व्यय	100000	
				आकस्मिकता	20000	
				उपभोज्य सामग्री	10000	
				यात्रा/फील्डवर्क	20000	150000
26	Dr Akhtar Husain	Computer Science	Student learning behavior identification in digital education using Machine Learning and Explainable Artificial Intelligence	अनावर्ती व्यय	100000	
				आकस्मिकता	20000	
				उपभोज्य सामग्री	20000	
				यात्रा/फील्डवर्क	10000	
				ओवर हेडचार्ज	15000	165000
27	Dr Priya Saxsena	Ancient History & Culture	Archaeological Exploration at Sankisa: Tracing Historical Narratives and Cultural Dynamics	अनावर्ती व्यय	96000	
				आकस्मिकता	15000	
				उपभोज्य सामग्री	120000	
				यात्रा/फील्डवर्क	15000	
				ओवर हेडचार्ज	10000	256000
			छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर			

Scanned with OKEN Scanner

निर्धारित समय-सीमा में परियोजना के अंतर्गत किये गये शोध कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

2. रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुए आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।

3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। निदेशालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा।

9. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16 ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

10. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

11. प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएंगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।

12. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को छोडकर इस अनुदान के बिल पर संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

13. संबंधित शोधकर्ता को धनराशि दिये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा इसकी पुष्टि कर ली जाय कि संबंधित शिक्षक विभाग/संस्थान में स्थाई रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हैं।

Scanned with OKEN Scanner

14. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित कर तत्काल संबंधित शोधकर्ता को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

15. शोधकर्ता द्वारा योजनांतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों की अवधि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से मानते हुए शोध कार्य को समयांतर्गत पूर्ण किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,57,51,477/-(रूपये एक करोड सत्तावन लाख इक्यावन हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 2202038001300 प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनॉंक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीयं,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या-25/2025/361(1)/सत्तर-4-2025-003-4(33)/2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner